मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/997/650/2020/20-3 भोपाल, दिनांक 29/12/2020

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था- **देल्ही पब्लिक एलीमेंटरी स्कूल सर्वे नंबर 116/1क एवं 116/1ख, ग्राम बरौली सांवेर रोड इंदौर, म0प्र0** को **सी0बी0एस0ई0** नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु *अनापत्ति प्रमाण* पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक** शालाओं **की मान्यता नियम, 2017** में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।

(5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक. आयोजनों, विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
School Education Deptt.
Mantralaya, Bhopal

Reshma
PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE

(7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि जो संचालित नहीं किया जायेगा।

(9) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

(12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(13) विधालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों अथवा उसंके माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की स्कीनिंग प्रकिया नहीं अपनाएगा।

(14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरुप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होगें।

(15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को मान्यत नियम 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकिया का.....

निरन्तर...3

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
School Education Deptt.
Mantralaya, Bhopal

Reshma
PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/12/20

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल,दि0 29/12/2020

पृ0क्रमांक-998 /650/2020/20-3

प्रतिलिपिः-

(1) विशेष सहायक, मान0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
(2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग इंदौर, म0प्र0।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-इंदौर, म0प्र0।
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था- देल्ही पब्लिक एलीमेंटरी स्कूल सर्वे नंबर 116/1क एवं 116/1ख, ग्राम बरौली सांवेर रोड इंदौर म0प्र0।
(7) फोल्डर प्रति।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
School Education Deptt.
Mantralaya, Bhopal

29/12/20

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Reshma
PRINCIPAL
Delhi Public Elementary School
INDORE